

6487

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक-प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2017

जयपुर, दिनांक : 20.07.2017

आदेश

DMOHS(PH)
25/7
Adall Gay
प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य स्तर एवं निदेशालय स्तर से विभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण/कार्य व्यवस्था के जारी आदेशों की पालना में संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी को या तो कार्यमुक्त नहीं किया जाता है अथवा कार्यमुक्त करने के पश्चात भी संबंधित अधिकारी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया जाता है।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य स्तर एवं निदेशालय स्तर से जारी स्थानान्तरण/कार्य व्यवस्था के आदेशों की पालना में अधिकतम 15 दिवस में अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर देकर इस विभाग एवं निदेशालय को अवगत करायेंगे। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 4- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
- 5- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
- 6- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट होस्पिटल, राज.
- 7- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
- 9- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली
- 10- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करावें।

(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/2017/513

दिनांक : 2/08/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-2), राजस्थान जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक/नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यव्यवस्था/स्थानान्तरण किये गये चिकित्सकों को कार्यमुक्त कर संबंधित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति इनके विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्रादि तैयार कर शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजि पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।